यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तरकाशी के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीणा ले.प. श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.10.2017 से 07.10.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनूप कुमार गुप्ता, ले.प. श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं श्री एन.के.बंसल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक.30.04.2015 से 13.05.2015 तक श्री ए.के. भारतीय लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2015 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2012 से 03/2015 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः –समस्त उत्तरकाशी सम्बन्धित क्षेत्र
3. (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख मे)
2014-15	1771.00
2015-16	3091.12
2016-17	1533.02

(ii)(स) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(₹ लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य		बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय			
2014-15	-	-	3766000	2692599	-	-	-	-	1073401
2015-16	-	-	4143000	3767773	-	-	-	-	375227
2016-17	-	-	5480000	3347159	-	-	-	-	2132841

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन बजट आवन्टन नहीं प्राप्त होता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

वित्त सचिव > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

4. **(V)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कर निर्धारण को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 10/2015 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर-01 नियमित कर निर्धारण में अनुचित लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹3.35 लाख।

शासनादेश संख्या: 380/ 2013/ 02(120)/ **IXXVII(8)/ 2013** दिनांक 28.03.2013 के अनुसार सिविल संविदाकारों के संबंध में बिन्दु संख्या 8 पर स्पष्ट किया गया है कि समाधान योजना को अपनाने वाले संविदाकार या उप संविदाकर को यह योजना वैकल्पिक होगी। जो संविदाकार इसे नहीं अपनाएँगे उसका नियमित कर निर्धारण किया जाएगा। जो संविदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते है वे इस हेतु निर्धारित प्रारूप 723 में प्रार्थना पत्र संविदा की तिथि से 90 दिन के अंदर अपने कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संविदा के निष्पादन के संबंध में प्राप्त किए गए भुगतान पर उपरोकतानुसार अगणित समाधान राशि प्रार्थना पत्र के साथ जमा की जाएगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में उसे अगले 90 दिन के अंदर देय समाधान राशि तथा उस पर 15% वार्षिक की दर से देय ब्याज सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त,(क.नि.) राज्य कर, उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सर्वश्री देवाय बिल्डर्स टिन 05008987075 द्वारा वर्ष 2012-13 में ₹14759747 प्राप्त किया गया था। इसमें से वर्ष 2011-12 के लिए ₹7129165 प्राप्त किया गया था तथा वर्ष 2012-13 के लिए ₹7630582 प्राप्त करना दर्शाया गया था। वर्ष 2012-13 की प्राप्ति ₹7630582 को समाधान योजना से बाहर रखते हुए कर निर्धारण निम्न अनुसार किया गया था।

प्राप्त धनराशि - ₹7630582
मजदूरी - ₹2289174
शेष राशि- ₹5341408
प्रांतीय खरीद- ₹2100017
कर योग्य राशि - ₹3241391
रेता-बजरी- ₹3000000 × 5%= ₹150000
सीमेंट- ₹241391 × 13.5%= ₹32590
कुल निर्धारित कर- ₹182590

वर्ष 2012-13 से संबन्धित बॉन्ड के सापेक्ष प्राप्त धनराशि ₹7630582 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समाधान विकल्प न लेने के कारण समाधान योजना से बाहर करते हुए नियमित कर निर्धारण किया गया था। जिसमे संविदाकार द्वारा ₹2100017 की सामाग्री

प्रान्त के अन्दर से क्रय किया जाना स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सकल प्राप्त भुगतान में से घटा दी गयी थी जबकि प्रान्तीय कर प्रदत्त माल को ही सकल प्राप्त भुगतान से घटाया जाना अपेक्षित था। खरीद सूची व बिल संलग्न न होने के कारण उसका लाभ दिया जाना अपेक्षित नहीं था। इसका कर निर्धारण इस प्रकार होना अपेक्षित था-

प्राप्त धनराशि - ₹7630582
30% मजदूरी - ₹2289175
कर योग्य राशि-₹5341407
रेता-बजरी- ₹2670704 × 5%= ₹133535
सीमेंट- ₹2670703 × 13.5%= ₹360545
कुल निर्धारित कर- ₹494080
निर्धारित कर में कमी- ₹494080 - ₹182590 = ₹311490
इस प्रकार संविदाकार द्वारा ₹334632 (₹311490 + ₹23142) जमा कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि 1% के समाधान राशि के संबंध में बॉन्ड की कॉपी व्यापारी से प्राप्त कर उपलब्ध करा दी जाएगी तथा जाँचोपरांत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः राजस्व क्षति ₹3.35 लाख का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर-02 बिक्री कम प्रदर्शित किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹0.59 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि) राज्य कर उत्तरकाशी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री शिवा एंड कंपनी (टिन 05003620938) द्वारा वर्ष 2013-14 के वित्तीय विवरण में 13.5% की वस्तु की स्थिति निम्न अनुसार प्रदर्शित की गयी है।

प्रारम्भिक रहतिया- ₹798380
वर्ष के दौरान खरीद- ₹3444034
वर्ष के अंत में अवशेष स्टॉक- ₹1066930
अतः बिक्री (लाभ रहित) = प्रारम्भिक रहतिया + वर्ष के दौरान खरीद - वर्ष के अंत में अवशेष स्टॉक
= ₹798380 + ₹3444034 - ₹1066930
= ₹3175484
व्यापारी द्वारा वर्ष के दौरान प्रदर्शित बिक्री = ₹2738544
अतः कम प्रदर्शित बिक्री = ₹3175484 - ₹2738544 = ₹436940

अतः व्यापारी पर कम प्रदर्शित बिक्री पर ₹58987 (₹436940×13.5%) का कर आरोपणीय है तथा जमा करने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर-03 कर का न्यूनरोपण ₹ 0.41 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध में 13.5% की कर देयता होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त,(क.नि.) राज्य कर, उत्तरकाशी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री च्वाइस इंटरप्राइजेज़ टिन 050010068431 द्वारा वर्ष 2013-14 में कोल्ड ड्रिंक की बिक्री करते हुए 5% की दर से कर अदा किया गया था। जबकि कोल्ड ड्रिंक किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल होने के कारण इस पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था।

अतः वर्ष के दौरान कोल्ड ड्रिंक की बिक्री ₹487388 पर अंतरीय कर 8.5% की दर से ₹41428 कर आरोपणीय है तथा इस पर जमा करने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-04/2012-13	-	01,02,06,07,08,09
CT-04/2015-16	-	01,04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री मनीष मिश्रा	सहायक आयुक्त
(ii)	श्री जयदीप रावत	सहायक आयुक्त
(iii)	श्री रजनीकान्त शाही	सहायक आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र